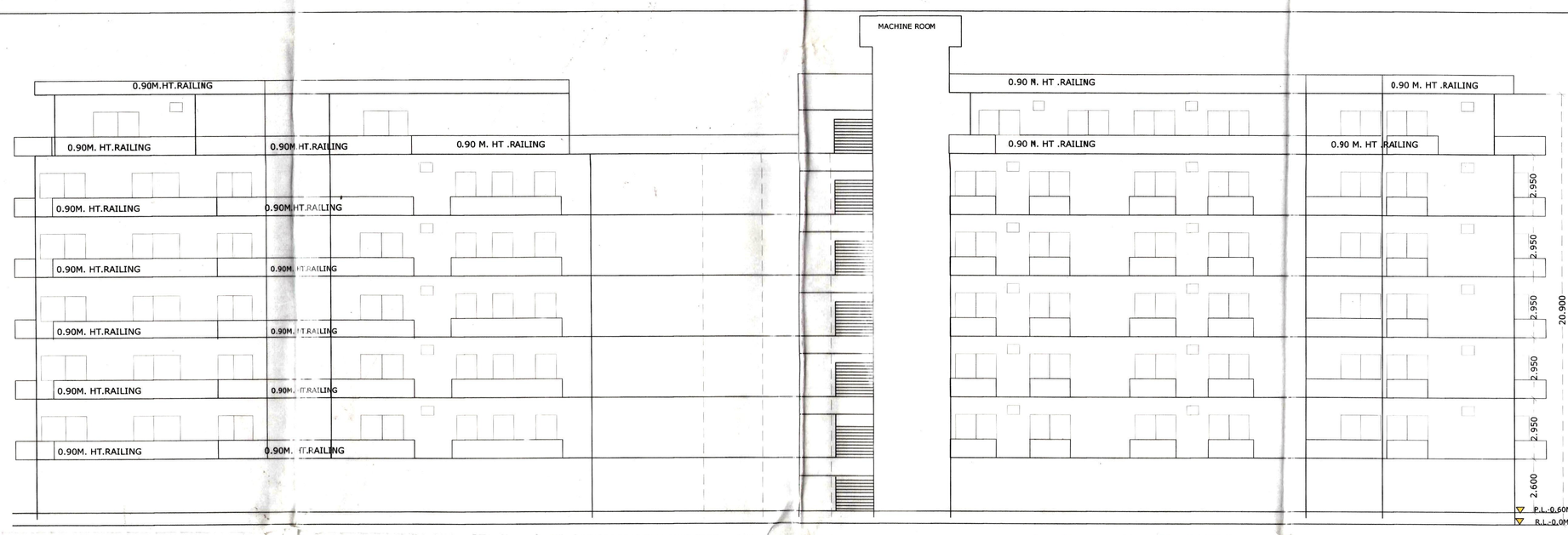

FRONT ELEVATION SCALE-1:100

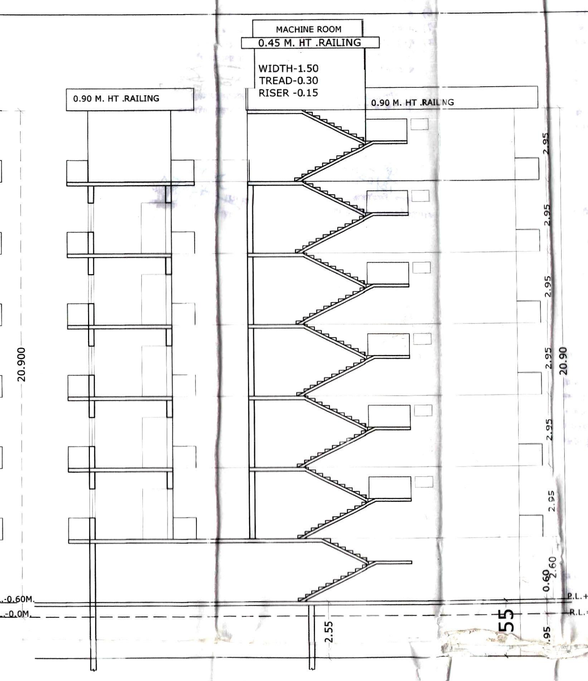

SECTION AA' SCALE-1:100

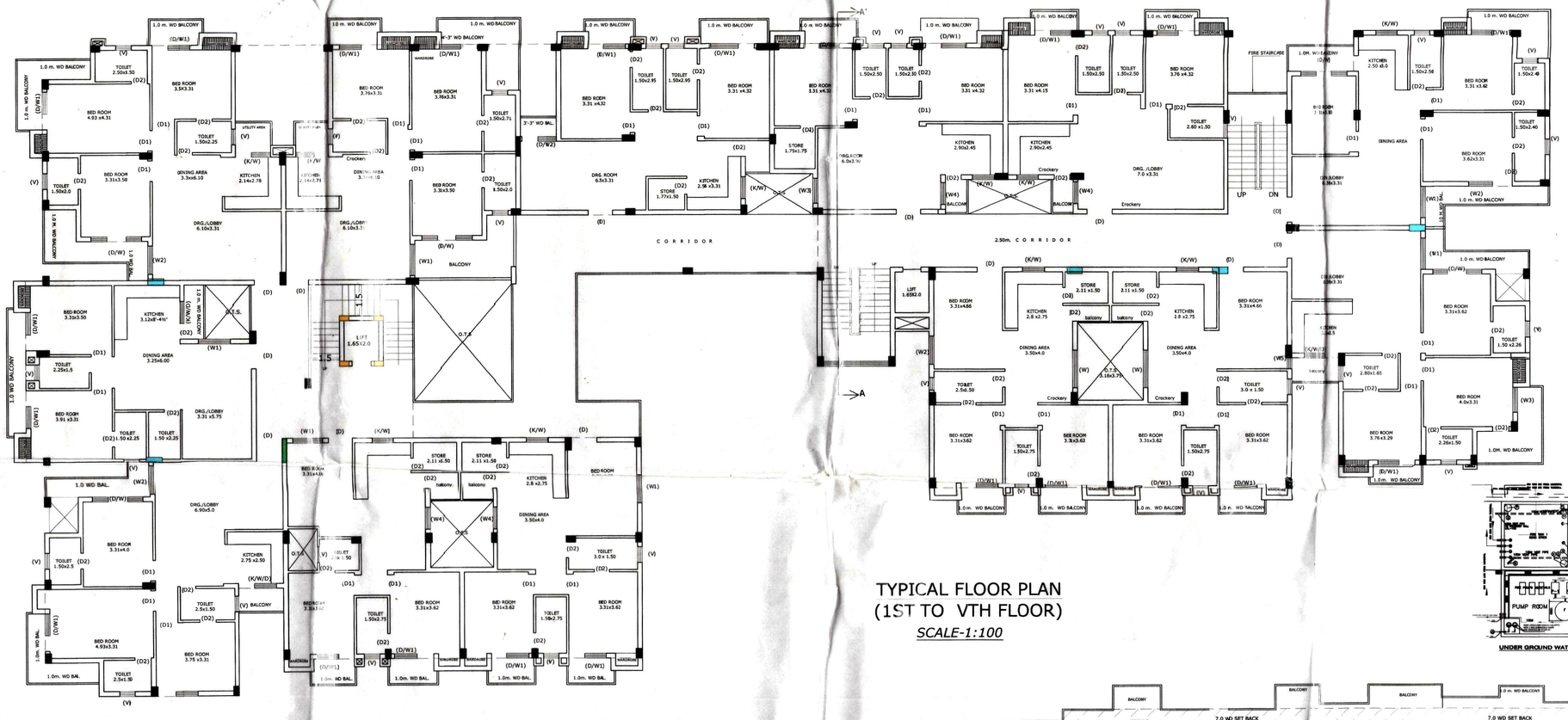

TYPICAL FLOOR PLAN
(1ST TO VTH FLOOR)
SCALE-1:100

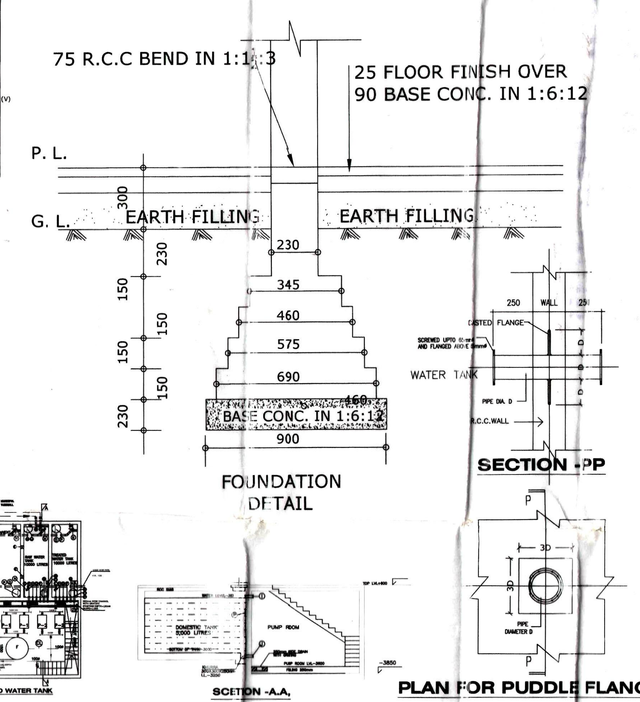

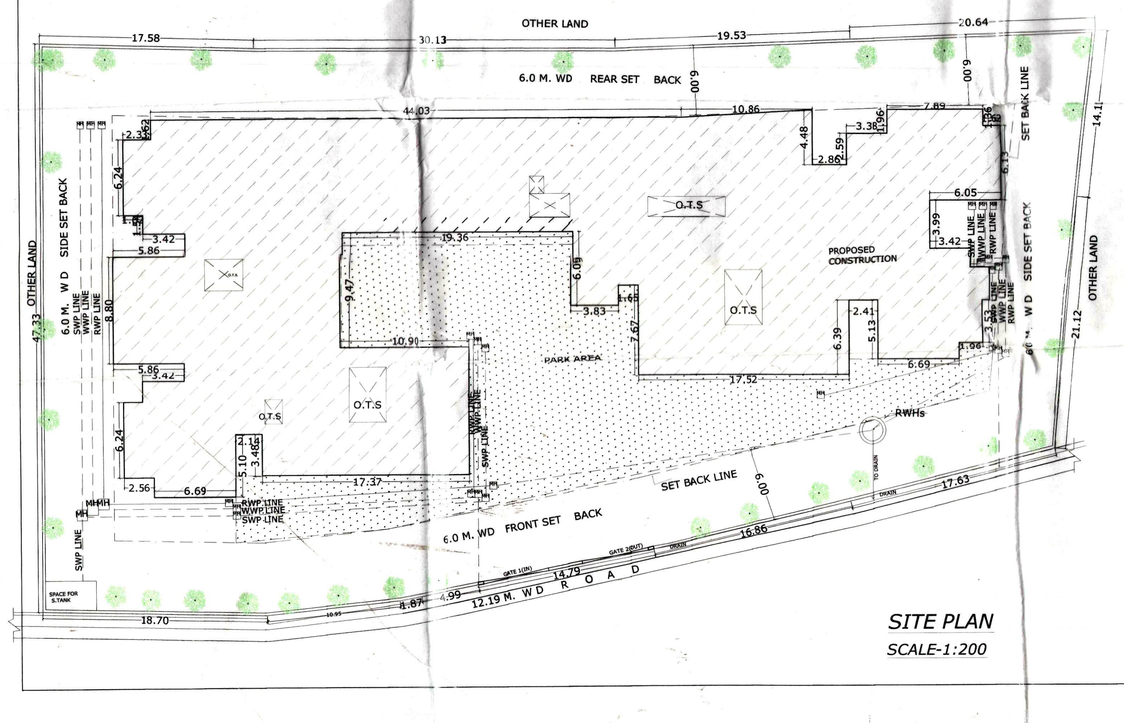

SITE PLAN
SCALE-1:200

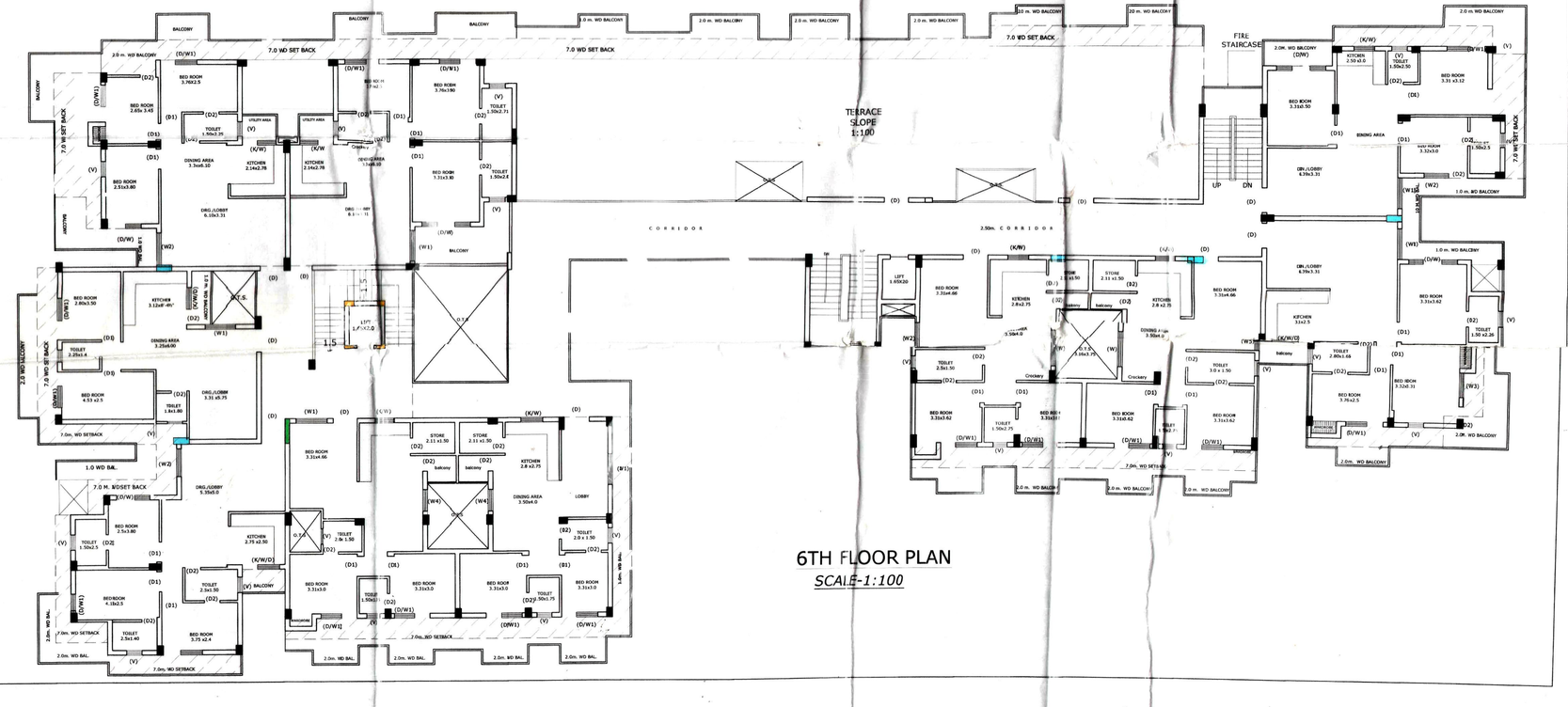

6TH FLOOR PLAN
SCALE-1:100

SPACE FOR SEAL

1. प्लॉटधारक को उपरोक्त डिजाईनों के ड्राफ्ट अथवाप्रीप्रिंट प्रारुप-पत्रों में जारी नक्शे शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
2. भू-स्वामित्व सम्बन्धी वाद-विवाद होने अथवा उत्पन्न होने की दशा में वे स्वयं जवाबदेही वहन किया जायेगी।
3. प्राधिकृत मानचित्र में दर्शाए होने के कारण भू-स्वामी द्वारा उस तक डिजाईनरी कार्यालय में लिए गये अनुज्ञा प्राप्त नहीं कर ली जाती है, उस तक बेसमेन्ट की सुविधा प्रदान नहीं दी जायेगी।
4. आवेदक को कम दरों पर वाटर ट्रीटमेंट के संयन्त्र से भू-जल की रिचार्जिंग हेतु पेय वाटर ट्रीटमेंट विधान की व्यवस्था करनी होगी।
5. निर्माण कार्य चालू जवाबदेही के निर्माण योजना रखने वाले उस आवेदक तथा वास्तुविद् की देखरेख में करना होगा, ताकि भवन की गुणवत्ता कुशल तथा सुव्यवस्थित व्यवस्था उनके द्वारा सुनिश्चित की जाये।
6. भवन निर्माण द्वारा जारी अनुमोदित प्रारुप-पत्र के अनुसार नक्शा-मात्र पर आवासन व्यवस्थाओं का ही सुनिश्चित करनी होगी।
7. आवेदक को भवन की छत पर सोलर वाटर हीटर संयन्त्र की व्यवस्था करनी होगी।
8. उत्तर प्रदेश एट इन्फ्रास्ट्रक्चरी योजना का अनुपालन करना होगा।
9. शासनादेश सं. 1538/आठ-3-11-अधिनियम/2010 दिनांक 26.08 2011 के अनुसार पूरित आय वर्ग एवं अन्य आय वर्ग हेतु बिके गये डिजाईनों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

ALL DIMENSIONS ARE IN METER.

SCHEDULE FOR OPENING

TYPE		SIZE	SILL	LINTEL HT
D	DOOR	1.20X 2.10	0.0	2.10
D1	DOOR	1.00X 2.10	0.0	2.10
D2	DOOR	0.90X 2.10	0.0	2.10
D3	DOOR	0.75X 2.10	0.0	2.10
D/W	DOOR/WINDOW	1.00X 2.20	0.0/0.9	2.10
W	WINDOW	2.00 X 1.20	2.10	2.10
W1	WINDOW	1.50 X1.20	2.10	2.10
W2	WINDOW	1.20 X1.20	2.10	2.10
V	VENTILATOR	0.75 X 0.60	2.55	2.55

STANDARD PARKING WITH CIRCULATION

E.C.S.-EQUIVALENT CAR SPACE

1.REQ.PARKING FOR 1 ECS IN OPEN AREA=23 SQM.
2.REQ.PARKING FOR 1 ECS IN COVD. AREA=28 SQM.
3.REQ.PARKING FOR 1 ECS IN BASEMENT=32 SQM.

PARKING AREA CHART:-

REQ. PARKING AREA @1.5 CAR/100sq.m.
=1.50*5146.35=77.19 ECS
SAY=78.00 ECS

(i) PROVIDED ECS IN BASEMENT=1465/32=45.78 SAY=46 ECS(43 ECS)
(ii) PROVIDED ECS IN STILT=1071.0/28=38.25 SAY=39 ECS(35 ECS)
(iii) TOTAL PROVIDED ECS =43+35=78.0 ECS

PARK AREA CHART:-

TOTAL PLOT AREA
REQ. PARK/OPEN AREA @15%OF TOTAL PLOT AREA
=3687.00X0.15=553.05 SQ.M.
PROVIDED PARK AREA=553.05 SQ.M.

PROPOSED RESIDENCIAL GROUP HOUSING BUILDING PLAN KHASRA NO.825 MAUZA SIKANDRA BAHISTABAD DIST-AGRA

OWNER :-
M/S O.P.INFRAESTATE PVT.LTD.
DIRECTOR :-Mr. AJAY AGARWAL
S/O-SHRI SURESH CHAND AGARWAL

NORTH:-

SCALE:-
1:100,1:200

OWNER'S SIGN

ARCHITECT'S SIGN:-

Ar. Pushpendra Singh
B.Arch.(M.T.S. AIIA)
Elect-21, Shop No. 13,
Sanja Plaza, AGRA-282002
COA-CA/2006/38163

SHEET NO.1\2

SUBMISSION PLAN

AXIS CONSULTANTS, AGRA
Architect, Interior Designer, Project manager, Planner

BLOCK NO-21 SMP NO-12,
NAGAR PALIKA,
0562-4038537

[illegible]

2-बहुमंजिला दो प्रकार का फाउण्डेशन बनाया होगा.

3-निर्माण [illegible] मानक संख्या [illegible] नियमों के अर्ह स्ट्रक्चरल [illegible] द्वारा प्रमाणित डिजाइन [illegible] ।

3-निर्माण [illegible] रेखा तथा उनके [illegible] न येगा। [illegible] सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित रहे ।

4-निर्माण पूर्ण होने पर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना भवन तथा उसके भाग का कोई उपयोग नहीं किया जायेगा, न कराया जायेगा ।

5-अनुज्ञापत्र के साथ संलग्नक 1, 2, 3, 4 एवं 5 के अनुबन्धों का निर्माण के समय पालन करना होगा ।

[illegible] मानचित्र स्वीकृति की शर्तें

निर्माण स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन ही जारी की गई है ।

(क) [illegible] मानक संख्या एवं [illegible] के अनुसार स्ट्रक्चरल [illegible] द्वारा प्रमाणित डिजाइन के अनुसार ही [illegible] ।

(ख) निर्माण का [illegible] तथा उनके [illegible] के अनुसार सुरक्षा की अपेक्षित व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित रहे ।

ख-1 भवन निर्माण के पर्यवेक्षण हेतु [illegible] सिविल अभियन्ता, जिन्हें भवन निर्माण के [illegible] में कम से कम [illegible] अनुभव प्राप्त किया जायेगा। [illegible] यह सुनिश्चित करेगा कि भवन [illegible] इंजीनियर द्वारा संरचनात्मक [illegible] समस्त व्यवस्थाएं करने के लिए जो डिजाइन अनुमोदित की गई है उसी के अनुरूप ही भवन निर्माण किया जा रहा है ।

ख-2 भवन निर्माण [illegible] कन्ट्रोल [illegible] परिणाम कार्यस्थल पर [illegible] कोई विशेष प्रकार [illegible] करने के लिये जाये तो उन परीक्षण [illegible] ।

ख-3 निर्माण कार्य का [illegible] स्वतन्त्र एजेन्सी द्वारा [illegible] निर्माण कार्य का निरीक्षण किया जाना [illegible] इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

(ग) यदि स्वीकृति का किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जाता अथवा [illegible] विशेषज्ञ की रिपोर्ट [illegible] नहीं होगी तो अथवा कार्य करते हुए निर्माण [illegible] जा सकेगा। [illegible] बनाये निर्माण [illegible] उनके [illegible] की परिधि में [illegible] तद्नुसार अनुमोदन [illegible] जायेगा ।

घ) कार्य के [illegible] स्वामी [illegible] फुट [illegible] का एक कार्ड [illegible] स्वीकृति [illegible] कार्य [illegible] इंजीनियर [illegible] कार्य [illegible] जायेगा। [illegible] निर्माण [illegible] से सम्बन्धित कार्यवाही पर निम्न अभियंता [illegible] रहेंगे ।

1) नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र की छायाप्रति एवं मुहरयुक्त प्रति ।

2) अनुमोदित प्रयोगशाला [illegible] द्वारा की गयी मृद परीक्षण की पूर्ण रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नींव के प्राविधान सम्बन्धी [illegible] ।

(3) अधिकृत [illegible] इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त [illegible] एवं भवन की भूकम्परोधी [illegible] सुरक्षा से सम्बन्धित [illegible] ।

(4) अधिकृत [illegible] इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त [illegible] एवं [illegible] तथा [illegible] ।

(5) भवन निर्माण हेतु आवश्यक [illegible] डी० एवं पी० का विवरण ।

6) [illegible] रजिस्टर ।

7) सामग्री परीक्षण [illegible] रजिस्टर ।

8) मुख्य अभियन्ता [illegible] तथा पी०डब्ल्यू०डी०, नगर निगम, नजूल [illegible] के समापति प्रमाणपत्रों में दी गई शर्तों का पालन करना होगा ।

13/3/2014
सहायक अभियन्ता

13/3/2014
जूनियर इंजीनियर
आगरा विकास प्राधिकरण

13/03/14
नगर नियोजक
आगरा विकास प्राधिकरण

मुख्य नगर नियोजक
आगरा विकास प्राधिकरण